संख्या-72/2025/1063/2025-003-27-10002(002)/1/2025-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, लखीमपुर, अमेठी, बदायूँ, शाहजहांपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, गोण्डा, बलरामपुर, गाजीपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव एवं रायबरेली में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की विभिन्न 14 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1206/03-72जी.एन./बहराइच एवं श्रावस्ती-09 नवीन राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.05.2025, पत्रांक-1195/03-72जी.एल./सुल्तानपुर 05 न.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.05.2025, पत्रांक-1379/03-72एचसी./लखनऊ-04 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.05.2025, पत्रांक-1380/03-72एच.बी./लखीमपुरखीरी-08 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.05.2025, पत्रांक-1101/03-72जी.के./अमेठी-04 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 25.04.2025, पत्रांक-1335/03-72एचजी./बदायूं व शाहजहांपुर-12 न.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 07.05.2025, पत्रांक-1077/03-72जी.टी./नलकूप मण्डल सहारनपुर-11 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 07.05.2025, पत्रांक-1332/03-72एचएच./बरेली व पीलीभीत-11 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 07.05.2025, पत्रांक-1245/03-72जी.ओ./गोण्डा एवं बलरामपुर-11 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 22.05.2025, पत्रांक-1123/03-72एचएम/नलकूप मण्डल गाजीपुर-07 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 22.05.2025, पत्रांक-1385/03-72एचई./सीतापुर-05 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 22.05.2025, पत्रांक-1384/03-72एच.डी/हरदोई-08 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 26.05.2025, पत्रांक-1382/03-72जी.जेड./उन्नाव-06 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 26.05.2025 एवं पत्रांक-1383/03-72एच.ए./रायबरेली-06 नवीन.राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 26.05.2025 तथा पत्रांक-जी-592/03-72/विभिन्न परियोजनायें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 17.06.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, लखीमपुर, अमेठी, बदायूँ, शाहजहांपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, गोण्डा, बलरामपुर, गाजीपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव एवं रायबरेली में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की विभिन्न 14 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0305-24 ''नलकूपों का निर्माण'' में प्राविधानित धनराशि रू0 18000.00 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 25,27,59,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ सत्ताइस लाख उनसठ हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट (परियोजना हेतु धनराशि)	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	नलकूप मण्डल, गोण्डा के अन्तर्गत जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 09 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (197.03)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	328.88 (a)/ 278.00 (b)	328.03	0.85	131.00	197.03	94-4702-102-03-0305-24	197.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2	नलकूप मण्डल, अयोध्या के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 05 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (121.50)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	204.52 (a)/ 172.46 (b)	203.50	1.02	82.00	121.50	94-4702-102-03-0305-24	121.50
3	नलकूप मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 04 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (95.96)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	159.36 (a)/ 134.71 (b)	158.96	0.40	63.00	95.96	94-4702-102-03-0305-24	95.96
4	नलकूप मण्डल, सीतापुर के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 08 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (176.44)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	294.14 (a)/ 248.68 (b)	293.44	0.70	177.00	176.44	94-4702-102-03-0305-24	176.44
5	नलकूप खण्ड, अमेठी के अन्तर्गत जनपद अमेठी में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 04 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (94.04)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	158.89 (a)/ 133.93 (b)	158.04	0.85	64.00	94.04	94-4702-102-03-0305-24	94.04
6	जनपद बदायूँ एवं शाहजहांपुर में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 12 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (261.85)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	437.75 (a)/ 369.45 (b)	436.85	0.90	175.00	261.85	94-4702-102-03-0305-24	261.85
7	नलकूप मण्डल, सहारनपुर के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, शामली एवं मुजफ्फरनगर में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 11 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (280.07)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	467.26 (a)/ 394.94 (b)	466.07	1.19	186.00	280.07	94-4702-102-03-0305-24	280.07
8	जनपद बरेली एवं पीलीभीत में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 11 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (238.94)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	398.80 (a)/ 337.24 (b)	397.94	0.86	159.00	238.94	94-4702-102-03-0305-24	238.94
9	नलकूप मण्डल, गोण्डा के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 11 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (240.77)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	401.77 (a)/ 339.63 (b)	400.77	1.00	160.00	240.77	94-4702-102-03-0305-24	240.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10	नलकूप मण्डल, गाजीपुर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 07 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (144.26)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025 एवं 42/2025/549/25-002-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 26.03.2025	301.26 (a)/ 254.63 (b)	300.46	0.80	156.20 (120+36.20)	144.26	94-4702-102-03-0305-24	144.26
11	नलकूप मण्डल, सीतापुर के अन्तर्गत नलकूप खण्ड-प्रथम, सीतापुर (जनपद सीतापुर) में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 05 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (111.04)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	184.54 (a)/ 155.97 (b)	184.04	0.50	73.00	111.04	94-4702-102-03-0305-24	111.04
12	जनपद हरदोई में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 08 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (194.60)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	325.45 (a)/ 275.08 (b)	324.60	0.85	130.00	194.60	94-4702-102-03-0305-24	194.60
13	नलकूप मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 06 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (182.74)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	304.34 (a)/ 257.41 (b)	303.74	0.60	121.00	182.74	94-4702-102-03-0305-24	182.74
14	नलकूप मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 06 अदद् नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (188.35)	02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025	315.00 (a)/ 266.40 (b)	314.35	0.65	126.00	188.35	94-4702-102-03-0305-24	188.35
कुल धनराशि											**2527.59**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध -</u>

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-02/2025/3085/2024-001-27-10002(002)/1/2025-10, दिनांक 13.01.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,27,59,000 (रुपये पच्चीस करोड़ सत्ताईस लाख उनसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020305 नलकूपों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-72/2025/1063(1)/2025-003-27-10002(002)/1/2025-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, **द्वारा-** प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।